



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-08072026-274243  
CG-CG-E-08072026-274243

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3490]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 3490]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 3 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत सूचना

**का.आ. 3651(अ).**—रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना “दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया-भाटापारा के बीच चौथी लाईन (14.40 कि.मी.)” परियोजना का निर्माण हेतु। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के छत्तीसगढ़, राज्य में निष्पदान के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त, अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधिन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा, बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार पर वर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि या रेखांकन एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

### अनुसूची

“दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया – भाटापारा के बीच चौथी लाईन (14.40 कि.मी.)” परियोजना का निर्माण हेतु, बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के लिए, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला का नाम – बलौदाबाजार – भाटापारा

(राज्य – छत्तीसगढ़)

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा/ प्लॉट संख्या	संशोधित प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	भाटापारा	परसवानी	194 (शामिल 195)	0.093
2			196	0.024
3			205/2	0.027
4			206	0.098
5			208	0.076
6			209	0.016
7			216	0.074
8			217	0.045
9			220/1	0.036
10			220/2	0.037
11				555/1
12	भाटापारा	अकलतरा	393/1/घ	0.320
13			803/1	0.076
14			803/2	0.091
15	भाटापारा	अवरेठी	97/1	0.026
16			97/2	0.024
17	भाटापारा	सुरखी	35/1	--
18			35/2	0.045
19			33/1	0.051
20			33/2	--
21			33/3	0.121
22			32/1	0.048
23			46	0.038
24			47/1	0.073
25			47/2	0.028
26			47/3	--
27			48/1	--
28			48/2	0.010
29			48/3	0.042
30	भाटापारा	सेम्हराडीह	755	0.046
31			756	0.0180
32			757	0.0260
33			758	0.1460
34			763	0.0780

35			764	0.0740
36			765/2	0.0320
37	भाटापारा	कड़ार	1432/4	0.157
				कुल योग- 2.139 हेक्टेयर

[फा.सं डी.सी.ई-II/कॉन/आर/चौथीलाईन/निपनिया-भाटापारा/20क/]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 3rd July, 2026

**Notice under Section 20A of the Railway Act, 1989**

**S.O. 3651(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely construction of “4th line between Nipania- Bhatapara of South East Central Railway (14.40 Km)” in Baloda Bazar-Bhatapara District in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely Sub Divisional officer (Revenue), Bhatapara, Baloda Bazar-Bhatapara Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “4th line between Nipania- Bhatapara of South East Central Railway (14.40 Km)” in Baloda Bazar-Bhatapara District in the state of Chhattisgarh.**

**Name of District- Baloda Bazar****Tehsil-Bhatapara****(State - Chhattisgarh)**

S. N.	Tehsil	Name of Village	Khasra / Plot No.	Revised affected Area (In Hectare)
1	Bhatapara	Parswani	194 (Including 195)	0.093
2			196	0.024
3			205/2	0.027
4			206	0.098
5			208	0.076
6			209	0.016
7			216	0.074
8			217	0.045
9			220/1	0.036
10			220/2	0.037
11			555/1	0.043

12	Bhatapara	Akaltara	393/1/ ;	0.320
13			803/1	0.076
14			803/2	0.091
15	Bhatapara	Aurethi	97/1	0.026
16			97/2	0.024
17	Bhatapara	Surkhi	35/1	--
18			35/2	0.045
19			33/1	0.051
20			33/2	--
21			33/3	0.121
22			32/1	0.048
23			46	0.038
24			47/1	0.073
25			47/2	0.028
26			47/3	--
27			48/1	--
28			48/2	0.010
29			48/3	0.042
30	Bhatapara	Semradih	755	0.046
31			756	0.018
32			757	0.0260
33			758	0.1460
34			763	0.0780
35			764	0.0740
36			765/2	0.0320
37	Bhatapara	Kadar	1432/4	0.157
<b>Grand Total – 2.139 Hectare</b>				

[F.No. DCE-II/Con/R/4th line/Nipania- Bhatapara/20A/]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)